



चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(1).उ0नि0 श्री सुनील कुमार मिश्रा व आरक्षी अजय कुमार थाना बरगढ़ द्वारा अ0सं0 65/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त धीरज पुत्र छत्रजीत निवासी लुढ़ौताकला थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2).उ0नि0 श्री कैलाश नाथ यादव व आरक्षी दुर्गेश,आरक्षी विपिन कुमार कोतवाली कर्वी चौकी शिवरामपुर द्वारा मु0सं0 4165/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त फूलचंद रैदास पुत्र मंगल रैदास निवासी चकला गुरु बाबा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3).उ0नि0 श्री सत्यनारायण सिंह यादव व आरक्षी विनीत यादव थाना मऊ द्वारा अ0सं0 164/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के वारंटी अभियुक्त छोटे लाल निषाद पुत्र परानु निषाद निवासी ग्राम भिटारी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4).उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार वर्मा,उ0नि0 श्री अरविंद कुमार सिंह आरक्षी सोनपाल सिंह थाना मऊ द्वारा अ0सं0 30/25 धारा 115(2),351(3),352,110 बीएनएस 3(2)5a3(1) दध एससी एसटी एक्ट के वारंटी अभियुक्त नीरज कुमार पुत्र मूलचंद निवासी ग्राम भिटारी आजाद नगर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5).उ0नि0 श्री गौरव तिवारी व आरक्षी शरद कुमार सिंह,आरक्षी श्याम जी थाना मानिकपुर द्वारा मु0अ0सं0 40/25 धारा 13 जी के वारंटी अभियुक्त पप्पू सोनकर पुत्र ननकू सोनकर निवासी मोहल्ला शिवनगर कस्बा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना सरधुआ पुलिस द्वारा दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

भीमसेन पुत्र सत्यनारायण निषाद निवासी ग्राम पंचा का पुरवा मजरा खोपा थाना सरधुआ जनपद चित्रकूट।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

वादी शिवऔतार उर्फ शिवा निषाद निवासी बड़हू का पुरवा मजरा सुरखल थाना सरधुआ ने थाना सरधुआ पर तहरीर दी थी कि उसकी बहन रोशनी देवी की शादी 20.04.2025 को भीमसेन निषाद निवासी ग्राम पंचा का पुरवा मजरा खोपा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग कर प्रताड़ित किया जाता रहा। मारपीट में गंभीर चोटें आने व ट्यूमर बनने के कारण इलाज के दौरान KGMU लखनऊ में भर्ती रही, जहां से ससुराल पक्ष द्वारा जबरन छुट्टी कराकर ले जाया गया और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई।

जिसके संबंध में थाना सरधुआ पर मु0अ0सं0 120/2026 धारा 80(2)/85/3(5) BNS व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई थी।

गिरफ्तारी का विवरण -

इसी क्रम में आज दिनांक 27.09.2026 को उ0नि0 श्री अशोक कुमार मिश्रा मय हमराह का0 राकेश कुमार द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त भीमसेन पुत्र सत्यनारायण निषाद निवासी ग्राम पंचा का पुरवा मजरा खोपा थाना सरधुआ को गुरगौला मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री अशोक कुमार मिश्रा थाना सरधुआ

2.का0 राकेश कुमार

(4). आज दिनांक 27.09.2026 अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकान्त राय के निर्देशन में को राघव प्रेक्षागृह पुलिस कार्यालय चित्रकूट में जनपद के समस्त थानों के विवेचकों व हेड मोहरीरों हेतु क्राइम सीन मैनेजमेंट व चैन ऑफ कस्टडी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला फील्ड यूनिट टीम जनपद चित्रकूट द्वारा प्रस्तुत की गई। कार्यशाला में फील्ड यूनिट प्रभारी व विशेषज्ञों द्वारा घटनास्थल को सुरक्षित रखने, साक्ष्यों के संकलन, पैकेजिंग, सीलिंग, फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी, फिंगर प्रिंट, डीएनए सैम्पल तथा चैन ऑफ कस्टडी के समुचित रखरखाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि विवेचना की गुणवत्ता काफी हद तक क्राइम सीन के सही प्रबंधन पर निर्भर करती है। घटनास्थल पर पहुंचकर सबसे पहले उसे सुरक्षित करना, अनावश्यक व्यक्तियों के प्रवेश को रोकना, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न होने देना तथा प्रत्येक साक्ष्य की चैन ऑफ कस्टडी को रजिस्टर में विधिवत अंकित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि न्यायालय में साक्ष्य की विश्वसनीयता बनी रहे। कार्यशाला में उपस्थित विवेचकों व हेड मोहरीरों को नए आपराधिक कानूनों (BNS/BNSS/BSA) के परिप्रेक्ष्य में फॉरेंसिक साक्ष्यों के महत्व के बारे में भी अवगत कराया गया। प्रायोगिक प्रदर्शन के माध्यम से साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया को समझाया गया तथा प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया गया। कार्यशाला सफल संपन्न हुई।